स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003

सा.का.नि. 3(अ) – केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के न्यायमूर्ति से परामर्श करके निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 है।

2. **परिभाषाएं.**– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) " अधिनियम " से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) अभिप्रेत है।

(ख) " अध्यक्ष " से अधिनियम की धारा 22ख की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण या किसी राज्य प्राधिकरण द्वारा स्थापित स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ग) " अन्य व्यक्ति " से धारा 22ख की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

(घ) " धारा " से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(ड.) " स्थायी लोक अदालत " से धारा 22ख की उपधारा (1) के अधीन स्थापित कोई स्थायी लोक अदालत अभिप्रेत है।

(च) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः इस अधिनियम में हैं।

3. **स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की बैठक फीस और अन्य भत्ते –**

(1) जब सेवारत न्यायिक अधिकारी को, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह ऐसे वेतन, भत्ते और अन्य उपलब्धियां प्राप्त करेगा जो किसी सेवारत न्यायिक अधिकारी को अनुज्ञेय है।

(2) जब किसी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह प्रति बैठक पांच सौ रूपए की बैठक फीस के लिए हकदार होगा।

(3) कोई अन्य व्यक्ति प्रति बैठक चार सौ रूपए की बैठक फीस के लिए हकदार होगा।

(4) अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति सरकारी दौरे पर ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं।

(5) स्थायी लोक अदालत की बैठक में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति तीन हजार रूपए प्रतिमास के सवारी भत्ते के हकदार होंगे।

4. **स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की सेवा के निबंधन और शर्तें** – (1) नियुक्ति से पूर्व, अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति को एक वचनबंध देना होगा कि उसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और नहीं होगा जिससे उसके अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(2) अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति –

(क) किसी भी समय लिखित में और अपने हस्ताक्षर से, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण को संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे।

(ख) नियम 5 के उपबंधों के अनुसार, उसके पद से हटाए जा सकेंगे।

(4) जब अध्यक्ष, अनुपस्थिति, रूग्णता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब स्थायी लोक अदालत का ज्येष्ठतम व्यक्ति (नियुक्ति के क्रम में) जो उस समय पद धारण कर रहा है उस दिन तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस दिन अध्यक्ष अपने कृत्यों का भार पुनः ग्रहण कर लेता है।

(5) अध्यक्ष या कोई अन्य व्यक्ति उस रूप में अपने पद पर न रहने पर उस तारीख से जिसको वह ऐसे पद पर नहीं रहता है, ऐसे किसी संगठन में या उसके प्रबंधन या प्रशासन में जो उसकी पांच वर्ष की पदावधि के दौरान अधिनियम के अधीन कार्यवाही का विषय रहा है, कोई नियुक्ति धारण नहीं करेगा या उससे संबद्ध नहीं रहेगा।

5. **त्यागपत्र और हटाया जाना** – यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण, अध्यक्ष या ऐसे अन्य व्यक्ति को पद से हटा सकेगा –

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या

(ख) जो ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है,

जिसमें प्राधिकरण की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है या

(ग) जो अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अशक्त हो गया है या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या

(ड.) जिसने अपने का इस प्रकार दुरूपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल है।

परन्तु अध्यक्ष या अन्य कोई व्यक्ति अपने पद से खंड (घ) और खंड (ड.) में विनिर्दिष्ट आधारों पर नियम 6 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के सिवाय नहीं हटाया जाएगा।

6. **जांच के लिए प्रक्रिया** – (1) जब कभी, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण की यह राय है कि नियम 5 के खंड (घ) या खंड (ड.) के अधीन किसी अभिकथन की जांच किया जाना अपेक्षित है तो यह अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के विरूद्ध जांच कर सकेगी और अभिकथन का सार तैयार करेगा या करवाएगा जिसमें सुसंगत तथ्यों का कथन और दस्तावेजों तथा साक्षियों की सूची अंतर्विष्ट होगी।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण, अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को अभिकथन की प्रति और दस्तावेजों तथा साक्षियों की एक सूची परिदत्त करेगा या करवाएगा और उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो अनुज्ञात किया जाए कोई लिखित उत्तर या अपनी प्रतिरक्षा में कथन प्रस्तुत करे।

(3) यदि अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति द्वारा अभिकथन स्वीकार किए जाते हैं तो यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण कारण अभिलिखित करेगा और अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को हटाएगा।

(4) जहां अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति द्वारा आरोपों से इंकार किया जाता है, वह, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अभिकथनों की सत्यता की जांच करने के लिए कोई अधिकारी नियुक्त कर सकेगा और वह जांच अधिकारी के समक्ष, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण की ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तुतीकरण अधिकारी को भी नियुक्त कर सकेगा।

(5) जांच अधिकारी, प्रस्तुतीकरण अधिकारी को मामले को प्रस्तुत करने के लिए ऐसे समय के भीतर जो समय–समय पर जांच अधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाए, अवसर प्रदान करेगा। प्रस्तुतीकरण अधिकारी द्वारा साक्ष्य पूरा कर देने के पश्चात् यथास्थिति, अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को ऐसी अवधि के भीतर जो जांच अधिकारी द्वारा अनुज्ञात की जाए, अभिकथनों की बाबत अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

(6) जांच अधिकारी को साक्षियों को बुलाने और उनके कथन अभिलिखित करने या शपथ पर साक्ष्य प्राप्त करने या दस्तावेजों या अन्य सुसंगत अभिलेखों को, जो जांच के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए कहने की शक्ति होगी।

(7) जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट छह मास की अवधि के भीतर या ऐसे समय के भीतर जो, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया जाए, प्रस्तुत करेगा।

(8) यदि यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर आरोप साबित हो गए हैं, तो वह यथास्थिति, अपचारी अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को हटा देगा।

7. **बैठक का स्थान** – (1) स्थायी लोक अदालत की बैठक, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी स्थान पर हो सकेगी।

(2) स्थायी लोक अदालत के कार्य दिवस और कार्य के घंटे वही होंगे जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के हैं।

(3) अध्यक्ष द्वारा जब आवश्यक हो तब स्थायी लोक अदालत की बैठक बुलाई जाएगी।

8. **स्थायी लोक अदालत के कर्मचारिवृन्द** – यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार स्थायी लोक अदालत को, ऐसा कर्मचारिवृन्द जो उसके दिन प्रतिदिन के कार्य और ऐसे अन्य कृत्यों के निष्पादन के लिए जो इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन उपबंधित हैं या उनके अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हैं, उसकी सहायता के लिए आवश्यक हों, उपलब्ध कराएगा। ऐसे कर्मचारिवृन्द को संदेय वेतन, यथास्थिति, भारत की संचित निधि या राज्य सरकार की संचित निधि से चुकाया जाएगा।

{(फा.सं.ए–60011(3)/2001–प्रशा.3 (वि.का.)}

आर.एल.कोली, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार